

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 35/2022-23

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 103, दिनांक- 28.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका अंजनी देवी, पति- स्व0 अंशुमान कुमार दास, साकिम- तेतुलमारी, थाना- सिजुआ, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- नगरीकला, मौजा नं0- 230, पुराना खाता नं0- 105, पुराना प्लॉट नं0- 418, नया खाता नं0- 16, नया प्लॉट सं0- 447, रकबा- 21 डिसमील भूमि क्रेता भुनेश्वर दास, पिता- स्व0 फतिलाल दास, साकिम- पाण्डरपाला, थाना- बैकमोड़, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के मोची हैं तथा विक्रेता थाना- सिजुआ एवं क्रेता थाना- बैकमोड़, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 19.68 भूमि शेष बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।